

# भारत के आदिवासी

डॉ. कामिनी जैन

© Copyright 2022

All rights are reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any means; electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system; without the prior written consent of its author.

The opinions /contents expressed in this book are solely of the author and do not represent the opinions / standings / thoughts of Shashwat Publication. No responsibility or liability is assumed by the publisher for any injury, damage or financial loss sustained to a person or property by the use of any information in this book, personal or otherwise, directly or indirectly. While every effort has been made to ensure reliability and accuracy of the information within, all liability, negligence or otherwise, by any use, misuse or abuse of the operation of any method, strategy, instruction or idea contained in the material herein is the sole responsibility of the reader. Any copyright not held by the publisher are owned by their respective authors. All information in this book is generalized and presented only for the informational purpose “as it is” without warranty or guarantee of any kind.

All trademarks and brands referred to in this book are only for illustrative purpose are the property of their respective owners and not affiliated with this publication in any way. The trademarks being used without permission don't authorize their association or sponsorship with this book.

**ISBN: XXXXXXXXXX**

**Price: xxx**

Publishing Year 2022

## दो शब्द.....

---

इस पुस्तक लेखन का उद्देश्य शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को विशेष रूप से समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को आदिवासी संस्कृति से परिचित कराना है। यह पुस्तक ना केवल स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही वरन् उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी जो अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है, कि आदिवासी समाज के संबंध में सरल और व्यवस्थित जानकारी दी जा सके साथ ही शोध के लिए आवश्यक सभी पहलुओं का संक्षिप्त सरल एवं व्यवस्थित उल्लेख हो। व्यक्ति जो आदिवासी समाज एवं संस्कृति, शासकीय या अशासकीय संस्थानों से जुड़े हुए हो उन्हें भी यह पुस्तक उपयुक्त होगी।

आदिवासी समाज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश इस पुस्तक में किया गया है आशा है कि शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता होती है। मानव को कदम-कदम पर सहयोग एवं दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, मुझे भी इस पुस्तक को पूर्ण करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की आवश्यकता पड़ी। आज जब यह पुस्तक पूर्ण हो गई है तो पीछे मुड़ कर देखने पर पाते हैं अतीत में उभरते चेहरे जिनके सहयोग की नींव पर इसे खड़ा किया गया है। आभार व्यक्त करना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि जो पाया है वह आभार मानकर लौटाया नहीं जा सकता सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा को अनंत

धन्यवाद देती हूँ जिनके आशीर्वाद एवं अनुकंपा से ही इस पुस्तक को पूर्ण कर सकी।

मैं डॉ. राजीव वर्मा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र अध्ययन शाला अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय भोपाल का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहित किया।

मैं श्री मनोज कुमार सिसोदिया कंप्यूटर प्रोग्रामर शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय नर्मदापुरम का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरे पुस्तक लेखन में हर कदम पर सहयोग दिया।

मैं अपनी बिटिया मीठी की भी आभारी हूँ जिनका सहयोग और स्नेह सतत मुझे लिखने को प्रेरित करता है। मैं अपनी मित्र मंडली डॉ. श्रीकांत दुबे, डॉ. अरुण सिकरवार, डॉ. रश्मि श्रीवास्तव, डॉ. संध्या मुरे, डॉ.एस.के. तिवारी की भी आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने में प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है।

मैं उन लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी पुस्तकों के अंश पुस्तक को लिखने में मार्गदर्शक बने। इस पुस्तक को रोचक एवं उपयोगी लिए सभी यथासंभव प्रयास किया गया है फिर भी कुछ कमियाँ रह जाना स्वाभाविक है। इसमें पाठकों द्वारा दिए गए सुझाव एवं आलोचनाओं का हृदय से स्वागत है।

अंत में अपने प्रकाशक कृष्णा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की भी आभारी हूँ जिन्होंने अल्प समय में इस संस्करण को प्रकाशित करने में तत्परता दिखाई और मेरे लेखन पर विश्वास किया।

**डॉ. श्रीमती कामिनी जैन**

## भूमिका

---

आदिवासी समाज और संस्कृति के प्रति हमारे तथाकथित सुसंस्कृत समाज का रवैया क्या है? वो चाहे सैलानी पत्रकार लेखक हों या समाजशास्त्री, आम तौर पर सबकी एक ही मिलीजुली कोशिश इस बात को खोज निकलने की रही है कि आदिवासियों में अदभुत और विलक्षण क्या है? उनके जीवन और व्यवहार में आश्चर्य और तमाशे के लायक चीजों की तलाश और हमसे बेमेल और पराए पहलुओं को इकहरे तरीके से रोशन करने लोगों का ध्यान आकर्षित करने और मनोरंजन के लिए ही लोग आदिवासी समाज और सुसंस्कृति की ओर जाते रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है। उनके यौन जीवन और रीति-रीवाजों के बारे में गुदगुदाने वाले सनसनीखेज ब्योरे तो खूब मिलते हैं, पर उनके पारिवारिक जीवन की मानवीय व्यथा नहीं। उनके अलौकिक विश्वास, जादू — टोने और विलक्षण अनुष्ठानों का आँखों देख हाल तो मिलता है, उनकी जिंदगी के हाड़तोड़ संघर्ष की बहुरूपी और प्रमाणिक तस्वीर नहीं। वे आज भी आदमी की अलग नस्ल के रूप में अजूबा की तरह पेश किए जाते हैं। विचित्र वेशभूषा में आदिम और जंगली आदमी की मानिंद। आदिवासी समाज के कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ अभिव्यक्त करने के साथ-साथ, एक प्रतीकात्मक क्रिया का, यद्यपि हमेशा नहीं, यह एक सहायक पक्ष है। अब जिसे हम व्यवहारिक कहते हैं, कार्यों को करने की आम- बुद्धि तकनीक, तथा धार्मिक अनुष्ठान या उन्हें करने की जादू- धार्मिक विधि के बीच मुख्य अंतर बुनियादी तौर पर जो कार्य किया जाता है जन जीवन की आधारशिला उनकी परम्पराएं हैं। समाज — संस्कृति का नियमन भी वहीं से होता है।

अनुशासन और मानवयी संबंध उस की छत्रछाया में पुष्पित —  
पल्लवित होते हैं। झारखंड क्षेत्र की जनजातियों के विशेष संदर्भ  
में अध्ययन की सुविधा के लिए, इन्हें निम्नांकित शीर्षकों में  
विभाजित किया जा सकता है।



## प्रस्तावना

---

भारत वर्ष की संस्कृति व सभ्यता अपने आप में अनूठी है । यहाँ सदियों से अनेक जातियाँ निवास कर रही हैं । वर्तमान में जनजाति शब्द और समाज बहुमूल्य इतिहास का साक्षी है । हमारी संस्कृति की झलक आज भी प्रायः इनमें ही मिलती है । यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि जनजातियाँ काल से भारत में निवास करते हैं ।

ये लोग पहाड़ी व घने जंगलों में निवास करते हैं । जनजाति परिवारों का समूह है जिसकी अपनी एक भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज व मान्यताएँ हैं। गोत्र एवं अंतर्विवाह की विशिष्टता है । ये एक सुनिश्चित भूभाग में रहते हैं । इनका स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है, जिसमें मुखिया सर्वोच्च होता है।

इन लोगों को अनेक नामों से जाना जाता है जैसे — वनवासी, पहाड़ी, आदिवासी, आदिम जाति, जनजाति, वन्य जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदि । इन सभी संबोधनों में आदिवासी शब्द अधिक प्रचलित है, यद्यपि अनुसूचित जनजाति संवैधानिक संबोधन है । भारत की जनजातियों का संदर्भ रामायण तथा महाभारतकाल में भी मिलता है । उस समय इन लोगों को जन कहकर पुकारा जाता था। वे लोग अन्यान्य प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे तथा उनकी शारीरिक आकृति भी सामान्य से भिन्न प्रकार की थी।

पहाड़ियों के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कई मानव समुदाय हैं, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाये हुए हैं । ये मानव समुदाय वनों, मरुस्थलों, ऊँचे पर्वतों और दुरुह पठारों के उन अंचलों में रहते हैं, जिसे आधुनिक तथा सभ्य समाज की अर्थदृष्टि अनुत्पादक मानती है । इसका अपना अनुल्लेखित इतिहास भी है, जिसका मात्र अंतिम पृष्ठ ही शेष रह गया है, उसमें यह लिखा है कि न जाने किस समय यह समूह छोटे-छोटे समूहों में बंट गया है । उसमें एक-दूसरे की पहचान व रिश्तों की डोरी या तो टूट चुकी है या उलझ चुकी है ।





## परिचय

---

जनजातियों की सांस्कृतिक परम्परा और समाज — संस्कृति पर विचार की एक दिशा यहाँ से भी विचारणीय मानी जा सकती है। मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्र के अग्रेताओं ने विभिन्न जनजातीय समुदायों का सर्वेक्षण मूलक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर विभिन्न जनजातियों के विषय में सूचनाओं के विशद कोष हमें सुलभ है। पुनः इस अकूत शोध—सामग्री के आधार पर विभिन्न जनजातीय समूहों और समाजों के बारे में निष्कर्ष मूलक समानताओं का निर्देश भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसे अध्ययन का संकट तब खड़ा हो जाता है जब हम ज्ञान को ज्ञान के लिए नहीं मानकर उसकी सामाजिक संगति की तलाश खोजना शुरू करते हैं। ये सारी सूचनाएं हमें एक अनचिन्ही— अनजानी दुनिया से हमारा साक्षात्कार कराती हैं, किन्तु इस ज्ञान का संयोजन भारतीय समाज में उनके सामंजस्यपूर्ण समायोजन के लिए किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न अन्य दूसरे सवालों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ समाज — चिंतन की हमारी —सृष्टि और उसके कोण की वास्तविक परीक्षा भी शुरू हो जाती है। ठीक यहीं से सूचनाओं का विश्लेषण — विवेचना चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं।

किसी भी समाज का अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भी शुद्ध अतीतजीवी होने की भी कोई तार्किकता नहीं हो सकती है। जनजातियों के संदर्भ में विचार करें तो यह सवाल और नुकीला हो जाता है कि क्या उन्हें आदिम मानव— सभ्यता के पुरातात्विक

पुरावशेष के रूप में पुरातन जीवन— स्थिति में ही अलग थलग छोड़ दिया जाए या विज्ञान और तकनीकी प्रगति की आधुनिक व्यवस्था में समायोजित होने का अवसर भी दिया जाए? सवाल तो यह भी उतना है महत्वपूर्ण है कि क्या उनके विकास के नाम उन्हें आधुनिक जटिल राज्य तंत्र और समाज — व्यवस्था के सामने टूटकर विखरने के लिए छोड़ दिया जाए या उन्हें नए परिवेश में सहज गतिशील होने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए?

आज जब औद्योगिक विकास के लिए खनिज सम्पदा और जंगल—पहाड़ के इलाके राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए अनिवार्यतः उपयोगी माने जा रहे हैं और ये सारी सहूलियतें इन्हीं आदिवासी अंचलों में सुलभ हैं तो क्या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय हितों के लिए 10 प्रतिशत आदिवासियों को विस्थापित कर उनकी अपनी जीवन शैली, समाज— संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों में बलात वंचित कर किया जाए? यानी आज यह सर्वोपरी आवश्यकता दिख रही है कि विकास की मौजूदा अवधारणा की एक बार फिर समीक्षा की जाए और नई आधुनिक व्यवस्था में जनजातीय समूहों के मानवीय अधिकारों की समुचित अभिरक्षा की जाए। तभी जनजातिय संस्कृति या उसकी परंपरा के विषय में हमारी चिंता को एक वास्तविक आधार सुलभ होगा।

“आदिवासियों के आख्यान उनके मिथक, उनकी परम्पराएँ आज इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे बीते युगों की कहानी कहती हैं, बल्कि उनकी अपनी संस्थाओं और संस्कृति के ऐतिहासिक तर्क और बौद्धिक प्रसंगिकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, सौन्दर्यात्मक चेष्टाएँ और अनुष्ठानिक क्रियायें हमारी — आपकी कला— संस्कृति की तरह आराम के

क्षणों को भरने वाली चीजों नहीं हैं, उनकी पूरी जिन्दगी से उनका एक क्रियाशील, प्रयोजनशील और पारस्परिक रिश्ता है, इसीलिए उनकी संस्कृति एक ऐसी अन्विति के रूप में आकार ग्रहण करती है जिनमें उनके जीवन और यथार्थ की पुनार्चना होती हैं" ।



# अनुक्रमणिका

---

• आदिवासी	1
• आदिवासी विकास एवं प्रशासन	8
• भारत के आदिवासी	30
• आदिवासी जनसंख्या	45
• आदिवासी गोत्र	55
• आदिवासियों की विवाह पद्धतियां	65
• आदिवासी परंपराएँ	78
• जनजातीय समाज में परम्परागत चिकित्सा	113
• धार्मिक विधियाँ	121
• आदिवासी झण्डा	129
• आदिवासी राजा	130
• आदिवासी साहित्य की उपलब्धता	132
• आदिवासी दिवस	150
• आदिवासी चिन्ह एवं प्रतीक	152
• आदिवासियों का पोषण स्तर	157
• राज्य छात्रवृत्ति	161
• महिला स्वास्थ्य योजना	171
• आदिवासी विद्रोह	223

- आदिवासी सेनानियों की वीर गाथा 230
- आदिवासी लोक कला अकादमी 236
- आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन  
के लिए विधिक सेवाएं योजना 241
- आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित खा। पदार्थों से  
निर्मित नवीन व्यंजन विधियां 275
- भील शब्दावली 293



## आदिवासी

---

जनजाति या आदिवासी देश के प्राचीनतम वंशजों में से है जिनके जीवन और संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषताएँ हैं— आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक अंधविश्वास, जीवन की सरलता और आनंद, स्वतंत्रता, निर्भयता, के विशेष रीति रिवाजों एवं रहन—सहन की पद्धतियाँ भी विभिन्नता का आयाम अपने में समेटे हुये हैं।

आदिवासी जनजाति स्वयं के स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। अतः उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक है। गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अभाव सामाजिक कुरीतियाँ, आय का असमान वितरण, आय का न्यून स्तर, आज भी परिवार में विमान है। इनकी अर्थव्यवस्था निम्न कगार पर हैं जिससे इनका जीवन स्तर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य स्तर आदि निम्न रहा है। आज भी अभिभावक, बच्चों के विकास

की सबसे तीव्र अवस्था में पौषणिक स्वास्थ्य की ओर जागरूक नहीं है या सचेत नहीं है। ये अपने बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर के महत्व को नहीं समझते । “जनजाति के संदर्भ में विद्वानों द्वारा व्यक्ति विचारों को केन्द्रित करते हुए कह सकते हैं कि जिनकी सामान्यता एक निश्चित बोली या भाषा एक हो।

स्वतंत्रता के बाद से ही आदिवासी विकास शासन का प्राथमिक दायित्व रहा है मध्यप्रदेश के 45 जिलों में जो जनजातियाँ रहती हैं उनकी संख्या 46 बतायी जाती है। गोंड और उनकी उपजातियाँ मिलाकर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दूसरी प्रमुख जनजाति भीलों और उनकी उपजातियों जैसे— **भिलाला, बरेला, परलिया**, आदि की कुल जनसंख्या 16.18 लाख प्रदेश में रहती है। बैगा 1.19 लाख, भारिया—भूरिया 147 लाख और हलवा—हलवी 1.73 लाख कवंर कनकार 2.07 लाख और धानका—अनपढ 3.70 लाख तथा सहरिया 2.05 लाख प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं गोंड प्रदेश के अधिकांश जिलों में फैले हुए हैं लेकिन काफी जनजातियों विशेष का फैलाव प्रदेश में व्यापक न होकर कतिपय क्षेत्र में विशेष में ही है एक इलाके में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति और सामाजिक स्थिति दूसरे इलाकों में रहने वाली जनजातियों से सर्वथा भिन्न है ।

**चार्ल्स पिनिक के अनुसार** — “एक जनजाति के क्षेत्र में भाषा, संस्कृति, समरूपता तथा एकसूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है।”

**डी.एन.मजूमदार** “एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। तथा सामान्य भाषा

बोलते हैं विवाह व्यवसाय तथा व्यापार के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित तथा उपयोगी परस्पर व्यवस्था का विकास करते हैं।”

**हॉबल के अनुसार** “एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है।

**गिलिन एवं गिलिन के अनुसार** “जनजाति किसी भी ऐसे अशिक्षित स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू-भाग पर निवास करता है। एक सामान्य भाषा बोलता है तथा एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करता है।”

#### 1.11.1 जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं

1. जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन होता है।
2. प्रत्येक जनजाति को अपनी एक सामान्य भाषा होती है।
3. प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है।
4. जनजाति को एक अन्य विशेषता यह है कि यह एक निश्चित भू-भाग के आधार पर सामुदायिक भावना भी बड़ जाती है।
5. एक जनजाति का प्रायः एक अन्तर्विवाही समूह होता है। प्रारम्भ में सभी जनजातियां अपनी ही जनजाति के विवाह करती थीं। परंतु आधुनिक युग में यातायात के साधनों की उन्नति के साथ प्रत्येक जनजाति का पड़ोसी जनजातियों से सम्पर्क बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप अनेक जनजातियां

अपने जनजातीय समूह से बाहर भी विवाह संबंध स्थापित कर लेती है।

6. एक जनजाति के सदस्यों में पारस्परिक आदान प्रदान के कुछ सामान्य नियम और निषेध होते हैं जिनको की प्रत्येक सदस्य को मानना पड़ता है और जिनके आधार पर इनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं।
7. एक जनजाति की एक सामान्य संस्कृति होती है और बाहर के समूहों के विरुद्ध इसके सदस्यों में एकता की भावना भी होती है।
8. जनजाति की एक अंतिम निवेशता यह है कि प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है। जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं कि उनमें से अधिकांश पृथक भूभागों में रहते हैं उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि और वन उत्पादनों को एकत्रित करना है वे लाभ के लिए खेती नहीं करते वह अभी भी वस्तु विनियम पर निर्भर रहते हैं।

भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या में से करीब 23 प्रतिशत इसी प्रदेश में रहते हैं। कहा जा सकता है कि देश के कुल जनजातीय लोगों में से हर पांचवा व्यक्ति म.प्र. का निवासी है, क्योंकि यही वह प्रदेश है जहां सबसे अधिक संख्या में जनजाति लोग रहते हैं।

#### म0प्र0

वर्ष	कुल जनसंख्या	जनजातिय जनसंख्या	प्रतिशत
------	--------------	------------------	---------



1961	32312000	6678410	20.63
1971	41634119	8387403	0.14
1981	52178844	11987031	22.973
1991	66181170	15399034	23.27
2001	60348023	12233474	24

### 1.11.2 आदिवासियों में शिक्षा की समस्या

अज्ञान, शोषण, गरीबी और पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है आदिवासियों का अशिक्षित होना जो प्रशिक्षित है उन्नति के विभिन्न अवसरों का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। यह स्थिति आदिवासियों के संदर्भ में विशेष रूप से देखी जा सकती है वे पिछड़े शोषित और गरीब इसी कारण है कि उन तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाई है और वे अशिक्षा के अंधकार में भटकते हुए सामान्य समाज से अलग थलग पड़ गए इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात विकास के जा अवसर समाज को मिले उसका पूरा लाभ आदिवासी नहीं उठा पाए हालांकि यह लाभ उन तक पहुंचाने के मामले में शासन ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।

मध्य प्रदेश में शासन की कोशिश है कि कोई भी आदिवासी बालक बालिका गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे आदिवासी बच्चों की लिए शिक्षा निशुल्क है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 3 से 11 तक के बच्चों को शिक्षा विभाग के बुक बैंक योजना से निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक दी जाती है बालिकाओं को स्कूली ड्रेस भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को शालाओं में निःशुल्क दोपहर के

भोजन की सुविधा भी दी जा रही है। जिनका लाभ प्रदेश के 7,00,000 आदिवासी बच्चों को मिल रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में आदिम जाति कल्याण द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं का संचालन किया जा रहा है। आदिवासी बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बच्चों के स्तर पर आ सके इसके लिये आदिम जाति कल्याण विभाग ने विगत 4—5 वर्षों में विशिष्ट शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये है आदिवासी क्षेत्रों में शालाएं खोलने के लिए राज्य शासन द्वारा एक सुविचारित एवं उदार नीति लागू की गई है।

सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में इन छात्र छात्राओं के लिए पूर्व माध्यमिक मैट्रिकोत्तर छात्रावास संचालित किये जाते है। छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु प्रदान की जाती है। जैसे कंबल, जर्सियां तथा सामान्य ज्ञान की और अन्य पत्रिकाएँ भी उपलब्ध करवाई जाती है।

मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 14 ऐसे विकास खण्ड है जहाँ पर 5 प्रतिशत से कम साक्षरता है तथा 88 ऐसे विकास खण्ड है जहां पर महिला साक्षरता प्रतिशत कम है की पहचान कर ली गई है। इन विकास खण्डों में साक्षरता में वृद्धि करने के लिये 2 नई योजनाएं 1986—87 से प्रारंभ की गयी है 88 विकास खण्डों में साक्षरता वृद्धि के लिये प्राथमिक शाला स्तरीय छात्रवृत्ति 198—87 से प्रारंभ की गई है।

### **1.11.3 म0प्र0 में आदिवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं**

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ से अधिक जनजातिय लोगों की संख्या थी जो कुल आबादी का 8.8

प्रतिशत थी जनजातीय आबादी देश के लगभग सभी हिस्सों में मौजूद है लेकिन आधी से अधिक यानि 55 प्रतिशत जनजातिय आबादी चार राज्यों मप्र. उड़ीसा, बिहार एवं राजस्थान में केन्द्रित है दूसरी और हरियाणा, जम्मू काश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में जनजातीय आबादी नहीं है। म.प्र. में जनजातियों की जनसंख्या 1.54 लाख है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 23.27 प्रतिशत है तथा भारत की कुल जनजातियों की जनसंख्या का 17.11 प्रतिशत मध्यप्रदेश में निवास करता है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 4.43 लाख किमी का 40.63 प्रतिशत क्षेत्र आदिवासी है अर्थात 1.80 लाख वर्ग किमी है।<sup>1</sup>

भारत की जनजातियों की समस्या परिवार के लिए दो समय भरपेट भोजन की तन ढकने के लिए वस्त्रों की ओर सिर छुपाने के लिए घर की वह आज भी ऐसे दूरस्थ पहाड़ी और वन प्रातारों में रहते हैं। जहाँ पहुंच सुगम नहीं है यही नहीं उनकी जंगल और जमीन घट जाने से जनजातीय लोगों और अधिक निर्धन, परश्रित ओर मजबूर बनते जा रहे हैं साथ ही जनजातीय लोगों का शोषण भी बढ़ रहा है अबोध अशिक्षित होने के कारण अपने पक्ष में बनाये गए कानून को भी नहीं समझ पाते हैं। वर्तमान में हमे जनजातियों के तीन मिलते हैं। प्रथम वे जनजातीय लोग हैं उन्नत बीज, खाद, नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक कृषि करते हैं इनका शहरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश हो चुका है अधिकांश पढ़े लिखे जनजातीय परिवार इस आर्थिक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।



## आदिवासी विकास एवं प्रशासन

---

आदिवासी विकास वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। ब्रिटिश शासन में इसका महत्व कुछ भी नहीं था। स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा के साथ आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास का महत्व बहुत बढ़ गया संसदीय शासन प्रणाली में जनप्रतिनिधि उसके क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहता है संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गई है।

मूलतः प्रशासन की निष्ठापूर्ण पहल एवं सक्रिय भूमिका ही इस शोषित वर्ग की प्राचीनतम पिछड़ी स्थिति को बदल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतिम या ठोस रूप से प्रमुख मार्ग अभी तक तय नहीं हो पाया है। नित नए प्रयोग हो रहे हैं आदिवासियों के समग्र विकास के लिए प्रशासन की भूमिका सकारात्मक होना आवश्यक है।

**विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2001** के अनुसार आज विश्व के निर्धनतम देशों के सामने दोहरी चुनौती है। अविरत जनसंख्या वृद्धि तथा जन एवं भोजन का गंभीर संभावित संकट वर्तमान में विश्व जनसंख्या 610 करोड़ तक पहुँच गई है जिसमें भारत की जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ है जबकि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। अर्थात् भारत विश्व की 16.72 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है।